

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

फसल हानि सूचना फार्म

अधिसूचित पात्र स्थानिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण (जल भराव, ओलावृष्टि एवं भूस्खलन) होनेवाली फसल की हानि और कटाई के बाद हानि (चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा और गैर मौसमी वर्षा) के नुकसान मुल्यांकन के लिए लागू

बीमाकृत किसान की जानकारी:-

१. बीमाकृत किसान का संपूर्ण नाम	श्री/ श्रीमती
२. पिता का संपूर्ण नाम	श्री
३. पत्र व्यवहार का पता	
४. फोन/ मोबाइल क्रमांक	
५. आधार क्रमांक	
६. ई-मेल आईडी	

बीमा संरक्षित फसल की जानकारी

योजना :	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	फसल ऋतु	वर्ष:	
१. यदि बैंक द्वारा बीमा किया गया है : १. कर्जदार	<input type="checkbox"/>	२. गैर कर्जदार	<input type="checkbox"/>	(योग्य विकल्प को ✓ चिन्हांकित करें)
(a) बैंक खाता क्रमांक		(b) बैंक नाम एवं शाखा		
(c) बीमा किस्त रकम	₹.	(d) बीमा किस्त जमा करने की तारीख		
यदि सीधे बीमा कंपनी द्वारा बीमा किया गया है।				
(b) किसान पहचान/ बीमा प्रस्ताव / कवर नोट क्रमांक :				

नुकसानग्रस्त खेत की जानकारी

राज्य	जिला	तालुका	महसूल मंडल	गाँव

नुकसानग्रस्त फसल की जानकारी

अ.क्र.	सर्वे क्रमांक	फसल का नाम	कृषिगत भूमिक्षेत्र (हेक्टर)	बीमा संरक्षित क्षेत्र (हेक्टर)	अनुमानित नुकसानग्रस्त क्षेत्र (हेक्टर)	नुकसान का अनुमानित प्रतिशत
१						
२						
३						

फसल नुकसान की विषयवस्तुओं का विवरण (जो लागू हैं)

नुकसान का कारण	
दिनांक एवं समय	
फसल कटाई दिनांक	(कटाई के बाद होवे नुकसान के लिए लागू)

मैं अपनी नुकसानग्रस्त फसल या उसका हिस्सा या उसकी स्थिती सर्वेक्षण के पूर्व नहीं बदलूँगा(गी)। कृपया मेरे खेत का प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करें। मैं जमीन के स्वामित्व का सबूत ७/१२, पट्टा/भागधारक करानामा प्रतिलिपि एवं कवर नोट/ बीमा किस्त रसीद की प्रतिलिपि प्रस्तुत करूँगा(गी)।

दिनांक -

बीमाकृत किसान के हस्ताक्षर / अँगूठा

- टिप्पणी: १) केवल योजना के अनुसार पात्र अधिसूचित स्थानिक प्राकृतिक आपदों के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करनेवाले नुकसानग्रस्त पात्र किसान को मुआवजा देने का दायित्व बीमा कंपनी पर रहेगा।
 २) नुकसान के समय से ४८ घंटों के अन्दर किसान द्वारा कंपनी तथा बैंक को सूचित करना बंधनकारक रहेगा।
 ३) साथ ही साथ, निर्धारित नमूने में उपरोक्त विवरण के कारण हुए नुकसान की सूचना प्राप्त करना और शेष जानकारी (यदि बाकी हो तो) ७ दिन के अन्दर संबंधित बीमा कंपनी को प्रस्तुत करना बंधनकारक है।

अभिव्यक्ति रसीद

श्री/ श्रीमति आधार क्रमांक- बैंक खाता क्रमांक/ किसान क्रेडिट कार्ड
 गाँव ता. जि. से दि. / /२० को/.....
 समय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत के कारण हुए फसल के नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है। प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करने के बाद पात्रता के अनुसार मुआवजे का फैसला किया जाएगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर एवं मुहर
बीमा कंपनी / बैंक के लिए